फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी बूझडा, पो0 कुन्दवा प0स0 देवगढ जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या **15/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की ग
	दिनांक 17.06.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ के पत्रांक सू.अ.अ./2021/41–42 दि. 04.05.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना धारा 2(+) के अनुसार अभिलेख पर जो सूचना उपलब्ध थी वह प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड निःशुल्क उपलब्ध करायी जा चुकि हैं। प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना अन्य लोक प्राधिकरण की होने से भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10.02.2008 आई आर दिनांक 24.10.2010 की अनुपालना में प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक सू.अ.अ./2021/35 दिनांक 19.04.2021 द्वारा सूचित कराया जा चुका था कि वह पृथक से संबंधित लोक प्राधिकरण में आवेदन कर सूचना प्राप्त करें। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के बिन्दु संख्या 3(3) में स्पष्ट किया गया हैं कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 के अन्तर्गत आवेदन अन्तरितकिये जाने का मामला नही बनता है यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि उपधारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एक वचन में हैं न कि बहूवचन में ज्ञापन के अनुरूप ही प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित कराया गया। बिन्दू संख्या 1 के साथ ही आवेदन पत्र में उल्लेखित सूचना अस्पष्ट एवं लोक सूचना अधिकारी के समझ से परे हैं। गैर काबिल भूमि, काबिल खातेदार राजस्व नियमो में ऐसी शब्दावली भी उपलब्ध नही हैं। – गैर काबिल भूमि को काबिल भूमि में परिवर्तन करने वाले काबिल खातेदार का ब्यौरा, – गैर काबिल भूमि को विक्रय पंजीकरण करने वाले खातेदारों का ब्यौरा एवं उनकी गिरदावरी रिपोर्ट की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी, फिर भी कार्यालय की समझ अनुसार रेकार्ड में आवंटन/ नियमन से दर्ज गैर खातेदारान की पूर्व में संकलित सूचना ग्रामवार एवं पटवार मण्डलवार जिसमें आवंटन समय से गिरदावरी की स्थिति का अंकन हैं कुल 75 पृष्ठों में सूचना उपलब्ध करायी गयी हैं। आवेदन के बिन्दु संख्या 2 में 01.01.2017 से 31.01.2021 तक तहसीलदार देवगढ द्वारा किये गये भू रूपान्तरण की सूचना पृष्ठ 11 उपलब्ध करायी जा	

M

चुकि हैं। लेकिन अपीलार्थी द्वारा भू हस्तान्तरण एवं भू नक्शा परिवर्तन का ब्यौरा की प्रमाणित प्रतियॉ चाही हैं। भू हस्तान्तरण उपरोक्त आवेदित अवधि में तहसील देवगढ में 8452 हुए हैं जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, दान, वसीयत, हकतर्क, लीज, न्यायालय आदेश, विरासतन जो आवासीय, वाणिज्यिक, औधौगिक कृषि, खनन भूमि के किये हैं। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में भूमि हस्तान्तरण का एवं भूमि के प्रकार का उल्लेख नही करने से सूचना संधारित कर दि जाने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 के तहत लोक प्राधिकरण तहसील कार्यालय देवगढ़ के साधनो का अनुपातिक रूप से विचलन होगा। आवेदित सूचना भू नक्शा परिवर्तन तहसीलदार का अधिकार क्षैत्र नही हैं। अतः आवेदित अवधि की सूचना शून्य से अवगत करा दिया गया हैं।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध सूचना दिनांक 19.04.21 को प्रेषित किये जाने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)